फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार **बनाम** **मातुराम**

किस्म मुकदमा धारा 177 **आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 **18 / 2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिकाक्ता श्री रामेश्वरदयाल एड. ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा मय शपथपत्र पेश किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि आबादी के बीच स्थित होने के कारण कुछ भाग को आवासीय उपयोग में ले रहा है। प्रतिवादी को राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का कोई उदेश्य नहीं है। अज्ञानतावश रूपान्तरकरण नियमों की जानकारी के अभाव में आवासीय उपयोग कर लिया। भूमि को अकृषि उपयोग में लेने को स्वीकार करता है। है तथा विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाना चाहते है। राज्य सरकार की मंशा व आदेशानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रतिवादी को उक्त भूमि बाबत कानूनन रूप से नियमन की कार्यवाही की जाने बाबत न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जाकर विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाये जाने का अवसर प्रदान करें। बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवााही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	